

CHAPTER - VII

ZERO RATED SUPPLY

Section 16 : Zero rated supply.

- (1) "zero rated supply" means any of the following supplies of goods or services or both, namely:—
- (a) export of goods or services or both; or
 - (b) supply of goods or services or both ¹[for authorised operations] to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit.
- (2) Subject to the provisions of sub-section (5) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, credit of input tax may be availed for making zero-rated supplies, notwithstanding that such supply may be an exempt supply.
- ²[(3) A registered person making zero rated supply shall be eligible to claim refund of unutilised input tax credit on supply of goods or services or both, without payment of integrated tax, under bond or Letter of Undertaking, in accordance with the provisions of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act or the rules made thereunder, subject to such conditions, safeguards and procedure as may be prescribed:
- Provided that** the registered person making zero rated supply of goods shall, in case of non-realisation of sale proceeds, be liable to deposit the refund so received under this sub-section along with the applicable interest under section 50 of the Central Goods and Services Tax Act within thirty days after the expiry of the time limit prescribed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999.) for receipt of foreign exchange remittances, in such manner as may be prescribed.
- (4) The Government may, on the recommendation of the Council, and subject to such conditions, safeguards and procedures, by notification, specify—

1 Inserted by Finance Act, 2021 (13 of 2021) w.e.f. a date yet to be notified.

2 Sub-section (3) & (4) substituted for existing in sub-section (3) by Finance Act, 2021 (13 of 2021) w.e.f. a date yet to be notified. Earlier to substitution it read as under:

"(3) A registered person making zero rated supply shall be eligible to claim refund under either of the following options, namely:—

- (a) he may supply goods or services or both under bond or Letter of Undertaking, subject to such conditions, safeguards and procedure as may be prescribed, without payment of integrated tax and claim refund of unutilised input tax credit; or
- (b) he may supply goods or services or both, subject to such conditions, safeguards and procedure as may be prescribed, on payment of integrated tax and claim refund of such tax paid on goods or services or both supplied, in accordance with the provisions of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act or the rules made thereunder."

Integrated Goods & Services Tax Act, 2017

- (i)** a class of persons who may make zero rated supply on payment of integrated tax and claim refund of the tax so paid;
 - (ii)** a class of goods or services which may be exported on payment of integrated tax and the supplier of such goods or services may claim the refund of tax so paid.]
-

अध्याय 7 शून्य दर पूर्ति

धारा 16 : शून्य दर पूर्ति

- (1) "शून्य दर पूर्ति" से माल या सेवाओं या दोनों निम्नलिखित कराधेय पूर्तियां अभिप्रेत हैं, अर्थात् :-
- (क) माल या सेवा या दोनों का निर्यात; या
- (ख) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को ¹[प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए] माल या सेवाएं दोनों की पूर्ति।
- (2) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन शून्य दर पूर्तियां करने के लिए इनपुट कर का प्रत्यय इस बात के होते हुए भी प्राप्त किया जा सकेगा कि ऐसी पूर्ति कोई छूट प्राप्त पूर्ति हो सकेगी।
- ²(3) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो शून्य दर पूर्ति करता है, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 54 या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार, ऐसी शर्तों, सुरक्षापायों और प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, बंधपत्र या वचन बंधपत्र के अधीन, एकीकृत कर के संदाय के बिना, माल या सेवाओं के या दोनों की पूर्ति पर अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने का पात्र होगा:
- परन्तु** विक्रय आगमों की वसूली न किए जाने की दशा में, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल की शून्य दर पर पूर्ति करता है, विदेशी मुद्रा विप्रेषणादेशों की प्राप्ति के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन विहित समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन के भीतर धारा 50 के अधीन लागू ब्याज सहित ऐसा संदत्त प्रतिदाय जमा करने का दायी होगा।
- (4) सरकार, परिषद् की सिफारिश पर और ऐसी शर्तों, सुरक्षापायों और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगी,—
- (i) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग, जो एकीकृत कर के संदाय पर शून्य दर पूर्ति कर सकेगा और ऐसे संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा;
- (ii) माल या सेवाओं का ऐसा वर्ग, जो एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात की जा सकेगी और ऐसे माल या सेवाओं का पूर्तिकर्ता ऐसे संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।]

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा वर्तमान उपधारा (3) के स्थान पर उपधारा (3) और (4) प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (3) इस प्रकार थी :

"(3) माल या सेवा या दोनों का निर्यात करने वाला रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में किसी के अधीन प्रतिदाय का दावा करने का पात्र होगा, अर्थात् :

- (क) वह एक एकीकृत कर के संदाय बिना ऐसी शर्तों, रक्षापायों और प्रक्रिया के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, बंधपत्र या वचनबंध पत्र के अधीन माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात कर सकेगा और अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा; या
- (ख) वह पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों पर एकीकृत कर के संदाय पर ऐसी शर्तों, रक्षापायों और प्रक्रिया के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, माल या सेवा या दोनों की पूर्ति कर सकेगा और ऐसे संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।"